राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

क्रमांक : एफ.( )मले./निदे./2009/ दिनांकः–

समस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषयः– पुनः परीक्षण (Cross-checking) की रक्त पट्टिकाओं के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक (स्वा.प.क.) कार्यालय, भारत सरकार को प्राप्त विभिन्न जिलों की पुनः परीक्षण (Cross-checking) की रक्त पट्टिकाओं की जांच करने पर निम्न कमियां पाई गईः–

1. रक्त पट्टिकायें बिना कवरिंग लेटर के भी भेजी जा रही है।
2. रक्त पट्टिकाओं पर स्पष्ट नम्बर अंकित होकर नहीं जा रहा है।
3. अधिकतर रक्त पट्टिकाएं फिक्स पाई गई है जिनका परीक्षण करना मुश्किल है।
4. काफी रक्त पट्टिकाओं में मोटी परत में फंगस दिखाई दी।
5. कुछ रक्त पट्टिकाओं में स्टेन जमा व गंदे कण विद्यमान है।
6. कुछ रक्त पट्टिकाओं पर पतली परत ही पाई गई जबकि मोटी परत (Thick Film) भी बनायी जानी चाहिये।
7. स्टेन बिना फिल्टर के प्रयोग में लिया जा रहा है।

अतः भविष्य में रक्त पट्टिकाओं का संचयन करते समय उक्त बिन्दुओं का ध्यान रखें जिससे उक्त कमियों की पुनरावृत्ती ना हो। प्रा.स्वा.केन्द्र पर संचित रक्त पट्टिकाओं का नकारात्मक ढाई प्रतिशत व सकारात्मक पांच प्रतिशत ही नियमानुसार वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक (स्वा.प.क.) कार्यालय, भारत सरकार को पुनः परीक्षण हेतु भिजवायें।

Sd/
अति.निदेशक(ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.( )मले./निदे./2009/478 दिनांकः–28/5/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), मुख्यालय।
3. वरिष्ठ क्षैत्रिय निदेशक, स्वा. एवं प.क., केन्द्रीय सदन, सेक्टर–10, विद्याधर नगर, जयपुर।
4. समस्त, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।

अति.निदेशक(ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर